उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-3

संख्या 5/2024/295/24-पी-3-2024-24-3/40/2023

लखनऊ:दिनांक 06 मार्च 2024

प्रमुख सचिव
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
उ0प्र0 शासन।

नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लि० को बंधक पत्र के निष्पादन हेतु पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन विषयक गोपन अनुभाग-1 के पत्र संख्या 4/2/3/2024-सी0एक्स0(1) दिनांक 05 मार्च 2024 एवं मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत मा0 मंत्रिपरिषद की टिप्पणी की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि कृपया मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुक्रम में नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड को बंधक विलेख निष्पादित करने पर प्रभार्य (chargeable) पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समुचित अधिसूचना निर्गत कर ऊर्जा विभाग को अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नक: यथोक्त

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 5/2024/295/24-पी-3-2024 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन लखनऊ।
2- मुख्य कार्यापालक अधिकारी नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लि0 कानपुर।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।